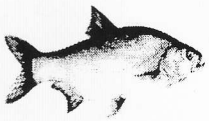

बिहार सरकार

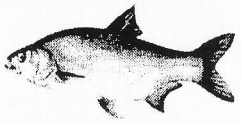

पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) विभाग

मुख्यमंत्री मत्स्य विकास परियोजनान्तर्गत अविकसित सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार।

योजनान्तर्गत अविकसित सरकारी तालाबों का अनुदानित दर पर जीर्णोद्धार एवं चौकीदार शेड के का निर्माण किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी तालाबों को विकसित कर पालन मात्स्यिकी के अन्तर्गत लाना है। सरकारी तालाबों का विकास नहीं होने के कारण कालांतर में भर गया है। बांध टुट गये है जिसके कारण जलग्रहण क्षमता घट गई है। फलतः सरकारी तालाबों में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता कम हो गई है। सरकारी तालाबों के पट्टेदार मछुआरों को अनुदान देकर उनके साथ बंदोवस्त तालाबों को विकसित किया जायेगा। मिट्टी का कार्य यांत्रिक विधि से किया जायेगा। इन तालाबों का विकास होने पर जलग्रहण क्षमता बढ़ेगी, जिससे मत्स्य उत्पादकता एवं उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। पुराने सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार तथा तालाब के बॉध पर नये चौकीदार सेड का निर्माण किया जायेगा। परंतु वैसे सभी सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार भी कराया जा सकेगा जो एक एकड़ से कम भी होंगे। एक हेक्टेयर अथवा उससे अधिक जलक्षेत्र के सरकारी तालाब के बॉध पर ही चौकीदार सेड का निर्माण किया जायेगा। चौकीदार सेड के निर्माण से तालाब की निगरानी एवं मत्स्य आहार के भंडारण में सहायता प्राप्त होगी। सरकारी तालाब का जीर्णोद्धार कार्य पूरा होने पर ही चौकीदार शेड का निर्माण कराया जायेगा। पूरे राज्य में 500 हे0 विभागीय सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार एवं 500 चौकीदार शेड का निर्माण कराया जाएगा। योजनान्तर्गत ऐसे तालाबों का चयन किया जायेगा जिनका जीर्णोद्धार विगत पॉच वर्षो में नहीं हुआ है। सरकारी तालाब से जीर्णोद्धार के कारण निकाले जाने वाले मिट्टी का प्रयोग केवल तालाब के बॉध बनाने में ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में मिट्टी का प्रयोग अन्य कार्यों हेतु वर्जित होगा।

1. **सरकारी तालाब का जिर्णोद्धारः–**

   - इकाई ₹4.51 लाख प्रति हे0
   - 50 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य।

2 **चौकीदार शेड का निर्माण** :–

   - ₹1.00 लाख प्रति इकाई
   - 50 प्रतिशत अनुदान अनुमान्य।

उपर्युक्त अवयवों का लाभ मछुआरे अपना आर्थिक विकास कर सकते है।

इच्छुक पट्टेदार मछुआ सदस्य अपना आवेदन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है। किसी प्रकार की कठिनाई अथवा जानकारी हेतु अपने जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। इस योजना की विस्तृत जानकारी राज्यादेश संख्या 1830 दिनांक 14.06.2016 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर प्रदर्शित है।

निदेशक मत्स्य
बिहार,पटना